

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक - प्र04-र0वि0अधि0-01/12- 1903 खाद्य, पटना/दिनांक- 27/3/2012

प्रेषक,

शिशिर सिन्हा,
प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी ।

विषय :- अगामी रब्बी विपणन मौसम 2012-13 के अन्तर्गत गेहूँ की अधिप्राप्ति के क्रम में भंडारण हेतु गोदामों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि राज्य में इस वर्ष गेहूँ का रिकार्ड उत्पादन की संभावना है । उक्त अलोक में खरीफ विपणन मौसम 2011-12 की तरह आगामी रब्बी विपणन मौसम 2012-13 अन्तर्गत गेहूँ की अधिप्राप्ति का कार्य मुख्य रूप से पैक्स के माध्यम से ही किया जाना है तथा प्रत्येक प्रखंड में बिहार राज्य खाद्य निगम का भी क्रय केन्द्र क्रियाशील रहेगा । खरीफ विपणन मौसम 2011-12 में राज्य अभिकरणों के द्वारा धान अधिप्राप्ति का कार्य किया जा रहा है, जो दिनांक 30.04.12 तक निर्धारित है ।

विदित हो कि रब्बी विपणन मौसम 2012-13 अन्तर्गत गेहूँ की अधिप्राप्ति का कार्य दिनांक 15.04.12 से प्रारंभ किया जाना है । इस अधिप्राप्ति कार्य के लिए भी खरीफ विपणन मौसम 2011-12 के अनुरूप ही सारी आवश्यक तैयारियां की जानी है । राज्य के अधिप्राप्ति अभिकरणों यथा- पैक्स, बिहार राज्य खाद्य निगम एवं भारतीय खाद्य निगम के पास भंडारण क्षमता पर्याप्त नहीं है, जिससे गेहूँ अधिप्राप्ति कार्य प्रभावित होने की संभावना है । इस क्रम में रब्बी विपणन मौसम 2012-13 अन्तर्गत अधिप्राप्ति कार्य के लिए गेहूँ का भंडारण हेतु अतिरिक्त गोदाम की आवश्यकता होगी ।

अतः अपने जिले में अवस्थित बड़े-बड़े निजी गोदामों, बाजार समिति प्रांगण में उपलब्ध गोदाम, औद्योगिक क्षेत्र के प्रांगण के क्षेत्र में अवस्थित गोदाम, टारुन हॉल, खाली पड़े बिहार राज्य वित्त निगम एवं अन्य संस्थाओं के गोदाम/कोल्ड स्टोरेज का सर्वेक्षण कराकर चिन्हित करते हुए गोदामों की उपलब्धता सुनिश्चित करें ताकि उसका उपयोग गेहूँ के भंडारण कार्य में हो सके ।

अनुरोध है कि उपर्युक्त दिये गये निदेश का कार्यान्वयन प्राथमिकता के आधार पर की जाय एवं की गई कार्रवाई से सम्बन्धित प्रतिवेदन यथा चिन्हित गोदाम का नाम, स्थान एवं भंडारण क्षमता की सूची एक सप्ताह के अंदर विभाग को उपलब्ध करायी जाय ।

विश्वासभाजन,

प्रधान सचिव
26